UPGK010015542026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–776/2026

अहमद रजा सिद्दीकी उर्फ राज पुत्र आजाद अली उर्फ बबलू, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी–बड़गो, थाना–रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर, उ०प्र०।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–94/2026
अंतर्गत धारा– 115(2), 109(1), 352, 351(3) बी०एन०एस०
व धारा– 3(1) द,ध 3(2)v एवं 3(2) va SC/ST Act
थाना–रामगढ़ताल, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 26–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **अहमद रजा सिद्दीकी उर्फ राज** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र आजाद अली उर्फ बब्लू द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी आदित्य राव पुत्र स्व० प्रधान निवासी हरदीया पीछवरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर और मेरी मौसी की लड़की भीम भारती पुत्र रामनाथ निवासी सेन्दुली बेन्दुली थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के साथ कल दिनांक 14.02.2026 को रात में करीब 11.00 बजे अपने रिश्तेदार के घर ताराण्डल से खाना खाकर वापस घर आ रहे थे कि बड़गो में स्थित एक दुकान पर रुककर कोल्ड्रिंक पीने लगे। तभी दुकान पर खड़े राज, सोना, चाँद पुत्रगण बल्लू और एक लड़का निवासी बड़गो हमें चमार सिआर की जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुये वह गाली गुप्ता देते हुये भगाने लगे जब हमने जाने का विरोध किया तो उक्त लोग एक राय होकर जान से मारने के नियत से लाठी डडा और राड लेकर आये और भीम के सिर पर मारने लगे जिसे

भीम का सिर फट गया और जमीन पर गिर गया तभी वे लोग नहीं माने उसे मारते रहे। जब मै बीच बचाव करने गया तो उक्त लोग मुझे भी गाली गुप्ता देते हुये चढ़कर कर सीने पर जान से मारने के नियत से गला दवाने लगे इतने में आस पास के लोगों के बीच बचाव करने से मेरी जान बची तो उक्त लोग हमें जान से मारने के धमकी देते हुये चले गये तब मैं भाई भीम को लेकर अस्तपाल गये जहाँ उसका दवा इलाज चल रहा है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है तथा उसने कोई जुर्म अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को मात्र विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर उक्त मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है और न ही जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई प्राण–घातक चोट नहीं पहुँचाई गयी है। अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार हैं। प्रार्थी द्वारा जान बूझकर उकसाने का कोई कार्य नहीं किया गया है और न ही शांति भंग ही की गयी है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जातिसूचक शब्दों का अपमानित करने के उद्देश्य से प्रयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक रुप से अपमानित करने के उद्देश्य से कोई जाति–सूचक शब्द का प्रयोग नही किया गया है और न ही कोई जानलेवा हमला ही किया गया है। सत्यता यह है कि प्रार्थी के बड़गो स्थित आवास के सामने दुकान स्थित है, जहाँ वादी मुकदमा आदित्य राव व भीम भारती अपने चार–पांच अन्य साथियों के साथ आये दिन रात्रि में 11:00 से 12:00 बजे के बीच शराब के नशे में गाली–गलौज वाद–विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी ने घर के सामने से शराब पीने से कई बार मना कर चुका था। घटना दिनांक–14.02.2026 को उक्त लोग पुनः शराब के नशे में आपस में मारपीट कर रहे थे। शोर सुनकर प्रार्थी घर से बाहर आया और देखा कि भीम भारती सड़क के किनारे नाली में गिरे हैं और नाक के पास से खून बह रहा है। प्रार्थी उनके साथियों के सहयोग से चौराहे पर स्थित डाक्टर के यहाँ ले गया, जहाँ दवा ईलाज हुआ। बाद में रात्रि लगभग 02:00 बजे पुलिस के लोग प्रार्थी के घर आये और प्रार्थी को पकड़कर थाने ले गये, तब प्रार्थी को पता चला कि वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी को झूठी व मनगढंत कहानी गढ़कर उक्त मुकदमे में फर्जी तौर पर अभियुक्त बना दिया गया है। मुकदमा स्थानीय पुलिस द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर डाक्टर व पुलिस की मिलीभगत से फर्जी तौर पर मेडिकल दिखाकर दर्ज किया गया है। प्रार्थी को थाना स्थानीय की पुलिस रात्रि दिनांक–14.02.2026 को रात्रि में घर से गिरफ्तार करके लायी और थाने पर बैठाये रही और दिनांक–16.02.2026 को फर्जी कहानी गढ़कर उक्त मुकदमें में फर्जी तौर पर चालान कर दिया। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष को जातिसूचक शब्दों एवं गाल गलौज से अपमानित करते हुए लाठी डंडा और राड से मारे पीटे और जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा चोटहिल को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की कठोर कुन्द से कारित बतायी गयी है। चोटहिल भीम भारती के सिटी स्कैन रिपोर्ट में नार्मल स्कैन अंकित है। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16-02-2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर विचार व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अहमद रजा सिद्दीकी उर्फ राज** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या-776/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/- (एक लाख) रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह-द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.-UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.26 17:34:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court